आर0ई0आर0 केश नं0-105/16-17

अनिल कुमार मराण्डी **बनाम्** रामाशंकर जयसवाल

-:आदेश:-

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक अनिल कु0 मराण्डी, पे0-जुगल मराण्डी, सा0-खदहरामाल, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा ने मौजा-खदहरामाल नं0-720, जमावंदी सं0-46, दाग सं0-341, कुल रकवा-00-03-00 धूर भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-खदहरामाल नं0-720, जमावंदी नं0-46, दाग सं0-341, कुल रकवा-00-10-11 धूर जमीन लखन मराण्डी, पे0-होपना मराण्डी, जुगल मराण्डी वो किसून मराण्डी, पे0-खुदु मराण्डी वो बाघराम मराण्डी, पे0-जुगुला मराण्डी के नाम से पर्चा में दर्ज है एवं कैफियत में सभी पर्चाधारी का दखल कब्जा अलग-अलग दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि गेंजर सर्वे के समय सभी पर्चाधारी बटवारा कर चुके थे। अतः सभी का कब्जा अलग-अलग दर्ज किया गया है। विपक्षी उक्त भुमि के 00-03-00 अंश पर अवैध कब्जा किये हुए है। अतः उन्हे संथाल पारगाना कश्तकारी अधिनियम के तहत् उच्छेद करने का अनुरोध करते है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-खदराहामाल ज0सं-46 लखन मरांडी आदि के नाम से दर्ज है तथा मौजा-मोहनपुर ज0सं0-30/क हरि भगत के नाम से दर्ज है। उक्त दोनो भूमि सटा हुआ है। जमावंदी सं0-46, प्लॉट सं0-341 की कुल भूमि 00-10-11 धूर है। इस पर विपक्षी का कोई कब्जा नही है, बल्की आवेदक के द्वारा दाग सं0-300 के अंदर 00-03-00 धूर भूमि वासकी भगत, जे के पोद्दार आदि के मिली भगत से धेर लिया है, जिस पर अंचल अधिकारी के द्वारा जाँच किया जा रहा है। अतः अन्त में वाद को खारिज करने का अनुरोध करते है।

कार्यपालक दण्डाधिकारी, महागामा से जाँच कराये जाने यह ज्ञात होता है कि विवादित दाग सं0-341, कुल रकवा-00-10-11 धूर भूमि है और आवेदक द्वारा इसमें से बासकी भगत को 00-01-10 धूर, जे के पोद्दार को 00-02-10 धूर तथा जर्नादन को 00-01-10 धूर भमि अवैध तरिके से हस्तांतरित की गई है तथा -00-09-04 धूर जमीन PWD सडक के लिए अधिग्रहीत हुआ है। इस प्रकार विवादित दाग सं0-341 का कुल रकवा-00-14-09 धूर होता है, जो वास्तविक रकवा-00-10-11 धूर से 00-04-03 धूर अधिक है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा बताई गई विवादित भूमि दाग सं0-341 में कुल रकवा-00-10-11 धूर भूमि है, जिसमें से PWD द्वारा सडक हेतु 00-09-04 धूर भूमि अधिग्रहित है। स्पष्टतः 00-03-00 धूर भूमि आवेदक के दखल एवं स्वत्व में नही है। पुनः कई व्यक्तियों को आवेदक द्वारा इस भूमि से आंशिक हिस्सा का अवैध हस्तांतरण किया गया है। यदपि अंचल अमीन के द्वारा किये गये मापी से प्रतीत होता है कि विपक्षी का उक्त दाग सं0 के 00-00-12 धूर भूमि पर कब्जा है तथापि अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा इस मापी प्रतिवेदन को अनुमोदित नही किया गया है। विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत कागजात से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा ही उनके ज0सं0-30/क, दाग सं0-300 मौजा-मोहनपुर की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है तथा उक्त भूमि को लेकर उभय पक्ष विवाद करते है, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या बनती है। प्रथम दृष्टया मामला अवैध कब्जा का न होकर स्वत्व का प्रतीत होता है। अतः वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है। उभय पक्ष चाहे ता सक्षम न्यायालय में अपिल दायर कर सकते है। प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, महागामा को भेजे तथा आवेदक द्वारा किये गये अवैध हस्तांतरण से संबंधित प्रतिवेदन की माँग करे।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।